

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुस्मारक-1

के.मा.शि.बो/स.शा./LOC/डेटासुधार/2025

दिनांक 22.10.2025

सेवा में प्रधानाचार्य/ विद्यालयों के प्रमुख केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट के माध्यम से)

विषय - LOC डेटा 2025-26 में सुधार के लिए केवल 05 दिन शेष हैं से संबन्धित

महोदया /महोदय,

यह 27.08.2025 को जारी के.मा.शि.बो LOC अधिसूचना और उसके बाद कई बार जारी अनुस्मारकों की निरंतरता में है, जिसके तहत सभी प्रधानाचार्यों को कक्षा X और XII, 2025-26 के लिए उम्मीदवारों की सूची (LOC) में सही डेटा जमा करने का निर्देश दिया गया था।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबंधित पक्षों को 13.10.2025 को जारी नोटिस के माध्यम से सूचित किया कि यदि विदयालयों ने LOC में सही डेटा जमा नहीं किया है, तो उन्हें LOC डेटा यानी उम्मीदवारों का विवरण और विषय आदि को सही करने का अंतिम अवसर निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार दिया गया है -

LOC डेटा (कक्षा X/XII) के लिए सुधार विंडो का अनुसूची	
13.10.2025 (सोमवार) से 27.10.2025 सोमवार तक	

इसलिए, सभी प्रधानाचार्यों को याद दिलाया जाता है कि छात्रों के **LOC डेटा में सुधार के लिए अब केवल 05** दिन शेष हैं, यदि कोई हो। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय के कक्षा X/XII की LOC में सुधार किया गया है और निर्धारित अनुसूची एवं निर्देश के अनुसार जमा किया गया है।

इसके बाद डेटा में बदलाव/सुधार का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

हस्ता/

(डॉ.संयम भारद्वाज) परीक्षा नियंत्रक

नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न निदेशालयों, संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों को प्रतिलिपि भेजी जाए, साथ ही उनसे अनुरोध किया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विदयालयों तक जानकारी पहुँचाएँ और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें:-







माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- 1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 (commissioner-kvs@gov.in)
- 2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा-201309 (nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs@gov.in)
- 3. सचिव, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। (neststribal@tribal.gov.in, commissioner.nests@tribal.gov.in)
- 4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, कक्ष संख्या 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001 (pvpsainikschool@gmail.com)
- 5. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003(dg-sai@gov.in))
- नेवी एजुकेशन सोसाइटी (NES), नेवल एजुकेशन निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक m V, विंग m II, फर्श m II, आरके प्रम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066 (nesnaU@gmail.com)
- 7. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, N-1/9, दूरदर्शन केन्द्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005 (oavsbbsr.od@gov.in)
- 8. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054। (diredu@nic.in)
- 9. लोक शिक्षण निदेशक (विद्यालय), केंद्रशासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ-160017 (dpichd@nic.in)
- 10. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम 737101 (directorhehrdd@gmail.com)
- 11. स्कूल शिक्षा के निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर 791111 (dirschedn@sify.com)
- 12. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार पोर्ट द्वीपसमृह प्रशासन, ब्लेयर 744101(dirschedn@sify.com)
- 13. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरी मंजिल, सिविल सचिवालय, लेह-लद्दाख। (pr.secy@ladakh.gov.in)
- 14. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुदुचेरी सरकार, ए ब्लॉक, प्रथम तल, परुनथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षणिक परिसर, 100 फीट रोड, अन्ना नगर, पुदुचेरी - 605 005 (<u>dse-edn@py.gov.in</u>)
- 15. निदेशक, सांभौता तिब्बती स्कूल सोसाइटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।(dhe-sml-hp@gov.in)
- 16. 16. ग्रुप कैप्टन शिक्षा (स्कूल) शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-VI, एयर मुख्यालय (RKP), आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (dopsmpl@iaf.nic.in)
- 17. सचिव AWES, एकीकृत मुख्यालय MOD (सेना), एफडीआरसी भवन संख्या 202, शंकर विहार (APS के पास), दिल्ली छावनी-110010 (coordsection.aweshq@awesindia.edu.in)
- 18. अध्यक्ष महोदय को सूचित करने के लिए उप सचिव, अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए।
- 19. बोर्ड के सभी विभाग प्रमुख।
- 20. सभी क्षेत्रीय निदेशक/ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भेजें ।
- 21. वेब एडिमनसे अनुरोध है कि इस परिपत्र को CBSE की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
- 22. मीडिया और जनसंपर्क, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए उपयुक्त प्रसार और प्रचार के लिए।



